न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 38/2022

श्री राजाराम गौतम पुत्र श्री कैलाश चन्द निवासी प्लाट नं0 11 श्री स्वर्ण दुर्गा मन्दिर के पास, कोटा रोड बाईपास टोंक जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली जिला टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 03.11.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक को अपील दिनांक 18.08.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली ने उनके पत्र कमांक 4883 दिनाक 25.08.2022 से उक्त अपील को न्यायालय हाजा को प्रेषित कि है। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

कैलाश पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण भूमि आंवटन मि.न. 475/1961 प्रमाणित पत्रावली ग्राम चांदली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली को पत्र कमांक 1015 दिनांक 13.09.2022, 1067 दिनांक 21.09.2022, 1085 दिनांक 29.9.2022 व 1112 दिनांक 13.10.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली ने उनके पत्र कमांक रीडर/2022/237 दिनांक 13.10.2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना/संबंधित रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से इस बाबत प्रार्थी को पूर्व में पत्र कमांक 3009 दिनांक 26.07.2022 से सूचना के संबंध में सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:56:42 IST
Reason: SelfAttested